भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3100
जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

आंध्र प्रदेश में न्यायालय

3100. श्री पुट्टा महेश कुमार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में विशेषकर एलुरु जिले सहित देश भर के न्यायलयों में लंबित सिविल और आपराधिक दोनों मामलों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या वर्ष 2022 में आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों के विभाजन के बाद बने जिलों में नए जिला न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो इस हेतु आबंटित और उपयोग की गई धनराशि और उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) देश भर के विभिन्न न्यायलयों, विशेषकर से आंध्र प्रदेश के न्यायलयों में रिक्तियों की कुल संख्या और उनमें कमी लाने के लिए राज्य-वार उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार ने उन प्रमुख मुद्दों की पहचान की है, जिनके कारण देश भर के न्यायलयों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका समाधान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(**क**) **:** राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत के उच्चतम न्यायालय में लंबित सिविल और दांडिक मामलों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

भारत का उच्चतम न्यायालय	वर्ष	**वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या**		
		सिविल	**दांडिक**	**योग**
	2020	52290	12796	65086
	2021	55973	14266	70239
	2022	54940	14828	69768
	2023 *	55015	14496	69511
	2024 **	64300	18277	82577

*(01.02.2023 तक),**(10.12.2024 तक)

पिछले पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश सहित उच्च न्यायालयों और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित सिविल और दांडिक मामलों की संख्या का ब्यौरा क्रमशः ***उपाबंध-1*** और ***उपाबंध-2*** पर दिया गया है।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान एलुरु जिले में लंबित सिविल और दाण्डिक मामलों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	**वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या**		
	सिविल	**दांडिक**	**योग**
2020	28026	22214	50240
2021	32645	28823	61468

2022	30704	32848	63552
2023	29937	35601	65538
2024 *	29253	36595	65848

*31.10.2024 तक

(ख) और (ग) : जिला और अधीनस्थ स्तर पर अधिक न्यायालयों की स्थापना संबंधित उच्च न्यायालय और संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। उच्च न्यायालय के मामले में, जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 2000/379 का में शीर्ष न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय के अनुसार और राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सम्यक विचार करने के पश्चात पीठों की स्थापना की जाती है। मई, 2014 से, राज्य सरकार और संबंधित उच्च न्यायालय के प्रस्ताव पर आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय का गठन किया गया है।

न्यायिक अवसंरचना केन्द्र और राज्यों के बीच विहित निधि सहभाजन में वित्तीय सहायता के माध्यम से अधीनस्थ न्यायपालिका के विकास के लिए राज्य सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अधीन, पांच घटकों अर्थात न्यायालय हॉल, आवासीय इकाइयों, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्ष के लिए निधि उपलब्ध करायी जाती है। इस संबंध में, 1993-94 से इस स्कीम के अधीन आंध्र प्रदेश को 272.2395 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। आज की तारीख तक, आंध्र प्रदेश में 648 न्यायालय हॉल और 600 आवासीय इकाइयाँ उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश राज्य में 84 न्यायालय हॉल और 16 आवासीय इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं।

(घ) : तारीख 10.12.2024 तक भारत के उच्चतम न्यायालय में एक (1) रिक्ति है। इसके अलावा उच्च न्यायालय और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियों की राज्यवार संख्या क्रमशः ***उपाबंध-3*** और ***उपाबंध-4 पर दी गई है।***

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है, जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। जबकि विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या पदोन्नति तथा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के कारण उदभूत होती रहती हैं।

एमओपी के अनुसार, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आरंभ करने की जिम्मेदारी संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में निहित होती है, जो उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ऐसा करते हैं। एमओपी के अधीन उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए संबंधित राज्य सरकार के अभिमत भी प्राप्त किए जाते हैं। सिफारिशों पर विचाराधीन नामों के संबंध में सरकार के पास उपलब्ध ऐसी अन्य रिपोर्टों के आलोक में भी विचार करना होता है । उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य सरकारों और भारत सरकार की सिफारिशें फिर सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को भेजी जाती हैं। केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है जिनके नाम एससीसी द्वारा अनुशंसित किए गए हों।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के मामले में रिक्त पदों को भरना संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। संवैधानिक कार्य ढांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकारें उच्च न्यायालय के परामर्श से संबंधित राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती के संबंध में नियम और विनियम बनाती हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जनवरी, 2007 में मलिक मजहर सुल्तान मामले में पारित आदेश के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ कुछ समयसीमाएँ निर्धारित की हैं, जिनका पालन राज्यों और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए किया जाना है।

(ङ) : लंबित मामलों का समयबद्ध रीति से निपटारा करना न्यायपालिका के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि, सरकार न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे और लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निपटान हेतु पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध कराने के लिए कई पहल की हैं:

i. राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में की गई थी, जिसके प्रणाली में विलंब और बकाया मामलों को कम करके पहुँच बढ़ाना और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाना तथा निष्पादन मानकों और क्षमताओं को निर्धारित करने के दो उदेश्य थे। मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों की संख्या के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचनात्मक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्वीकृत पद संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी ग्रस्त क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय तथा मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुनः इंजीनियरी और मानव संसाधन विकास पर जोर देना अन्तर्वलित है।

ii. न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को न्यायालय हालों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के संनिर्माण के लिए निधियां जारी की जा रही हैं, जिससे मुकदमेबाजों सहित विभिन्न पणधारियों का जीवन सरल हो सके और न्याय प्रदान करने में सहायता मिल सके। वर्ष1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) की शुरुआत से लेकर अब तक 11571.57 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इस स्कीम के अंतर्गत, न्यायालय

कक्षों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर तारीख 31.10.2024 तक 23,590 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर तारीख 31.10.2024 तक 21,076 हो गई है।

iii.इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के चरण 1 और 2 के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है। वर्ष 2023 तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। 99.5% न्यायालय परिसरों को डब्ल्यू ए एन कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान की गई है। तारीख 30.09.2024 तक, जिला न्यायालयों में 1375 ई-सेवा केंद्र और उच्च न्यायालयों में 28 ई-सेवा केंद्र वकीलों और मुकदमेबाजों को सिविल केंद्रित सेवाएं प्रदान करके डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए कार्यात्मक बनाए गए हैं। 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 28 आभासी न्यायालय स्थापित किए गए हैं । मंत्रिमंडल ने तारीख 13.09.2023 को 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय पर ई-न्यायालय चरण-III मंजूरी दें दी है। चरण-I और चरण-II के लाभों को अगले स्तर पर ले जाते हुए, ई-न्यायालय चरण-III का उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस न्यायालयों की ओर बढ़ते हुए न्याय की सुगमता की व्यवस्था की शुरुआत करना है। इसका आशय न्याय वितरण को सभी हितधारकों के लिए उत्तरोत्तर अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉक चेन आदि जैसी नवीनतम प्रौदियोगिकी को शामिल करना है।

iv. सरकार भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को नियमित रूप से भरती रही है। तारीख 01.05.2014 से तारीख 21.11.2024 तक उच्चतम न्यायालय में 64 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, इसी अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों में 999 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और 767 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या मई, 2014 में 906 से बढ़कर अब तक 1122 हो गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है:

निम्नलिखित तारीख तक	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
09.12.2024	25,741	20,479

हालाँकि, जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

v. अप्रैल 2015 में आयोजित मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया मामला समितियों का गठन किया गया है। जिला न्यायालयों के अंतर्गत भी बकाया मामला समितियों का गठन किया गया है।

vi.चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान, में जघन्य अपराधों के मामलों से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना की गई है; इन मामलों में वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि से जुड़े मामले भी हैं। तारीख 30.09.2024 तक, जघन्य अपराधों, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध आदि के मामलों पर कार्रवाई के लिए 862 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यात्मक हैं। निर्वाचित सांसदों/विधायकों से जुड़े दाण्डिक मामलों का त्वरित निपटान करने के लिए, नौ (9) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दस (10) विशेष न्यायालय कार्यात्मक हैं। इसके अलावा, केंद्रीय सरकार ने बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए देश भर में त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने की स्कीम को अनुमोदित कर दिया है। तारीख 30.09.2024 तक, देश भर के 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 408 अनन्य पॉक्सो (ईपीओसीओ) न्यायालयों सहित 750 एफटीएससी कार्यात्मक हैं, जिन्होंने 2,81,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

vii. न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने और कामकाज को आसान बनाने की दृष्टि से, सरकार ने विभिन्न विधियों, जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दाण्डिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधन किया है ।

viii. वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धतियों को पूरे दिल से बढ़ावा दिया गया है। तदनुसार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को अगस्त, 2018 में संशोधित किया गया था, जिससे वाणिज्यिक विवादों के मामले में पूर्व-संस्थन मध्यस्थता और निपटान (पीआईएमएस) अनिवार्य हो गया। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन समयसीमा विहित करके विवादों के त्वरित समाधान में शीघ्रता लाने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 2015 द्वारा किया गया है ।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत, मामला प्रबंधन सुनवाई का उपबंध है जो किसी मामले के कुशल, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण न्यायिक प्रबंधन के लिए उपबंध करता है ताकि विवाद का समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान प्राप्त किया जा सके। यह तथ्य और विधि के विवादित मुद्दों की शीघ्र पहचान, मामले के जीवन के लिए प्रक्रियात्मक कैलेंडर की स्थापना और विवाद के समाधान की संभावनाओं की खोज में सहायता करता है।

वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए शुरू की गई एक अन्य नवीन विशेषता रंग बैंडिंग की प्रणाली है, जो किसी भी वाणिज्यिक मामले में दिए जाने वाले स्थगन की संख्या को तीन तक सीमित कर देती है तथा न्यायाधीशों को लंबित मामलों की संख्या के चरण में अनुसार मामलों को सूचीबद्ध करने के बारे में सचेत करती है।

ix. लोक अदालत आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहाँ न्यायालय में लंबित या पूर्व मुकदमेबाजी के विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा दिया गया अधिनिर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री मानी जाती है और यह अंतिम होती है तथा सभी पक्षों पर आबद्धकर होती है तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय के समक्ष कोई अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत कोई स्थायी स्थापन नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक साथ पूर्व-निर्धारित तारीख को आयोजित की जाती हैं।

पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों का विवरण निम्नानुसार है: -

वर्ष	**पूर्व मुकदमा मामले**	**लंबित मामले**	**कुल योग**
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023	7,10,32,980	1,43,09,237	8,53,42,217
2024 (09.11.24 तक)	6,46,35,285	1,26,34,580	7,72,69,865
कुल	**17,38,89,774**	**4,34,36,355**	**21,73,26,129**

x. सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायतों में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श चाहने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

*टेली-लॉ डाटा का प्रतिशतवार ब्यौरा

प्रवर्ग	**रजिस्ट्रीकृत मामले**	**% वार ब्यौरे**	**दी गई सलाह**	**% वार ब्यौरे**
लिंग के अनुसार				
महिला	4014611	39.12	3963499	39.06
पुरुष	6247980	60.88	6183286	60.94
जाति श्रेणीवार				
सामान्य	2387060	23.26	2352649	23.19
अन्य पिछड़ा वर्ग	3252495	31.69	3213067	31.67
अनुसूचित जाति	3246025	31.63	3215657	31.68
अनुसूचित जनजाति	1377011	13.42	1366312	13.47
कुल	**10262591**		**10146785**	

***डाटा 31-10-2024 तक.**

xi. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं। एक प्रौद्योगिकीय कार्य ढांचा तैयार किया गया है, जहाँ प्रो बोनो कार्य के लिए अपना समय और सेवाएँ देने वाले अधिवक्ता न्याय बंधु (एंड्रॉइड और आईओएस और ऐप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण करा सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएँ उमंग प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। राज्य स्तर पर 23 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल शुरू किया गया है। नवोदित वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 109 लॉ स्कूलों में प्रो बोनो क्लब शुरू किए गए हैं।

****

उपाबंध-1

'आंध्र प्रदेश में न्यायालय' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3100 जिसका उत्तर तारीख 13.12.2024 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

पिछले पांच वर्षों के दौरान जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लंबित मामलों को दर्शाने वाला विस्तृत विवरण।

क्रम सं.	राज्य	31.12.2020 तक लंबित मामलों की संख्या			31.12.2021 तक लंबित मामलों की संख्या			31.12.2022 तक लंबित मामलों की संख्या			31.12.2023 तक लंबित मामलों की संख्या			10.12.2024 तक लंबित मामलों की संख्या		
		सिविल	दाण्डिक	कुल	सिविल	दाण्डिक	कुल	सिविल	दाण्डिक	कुल	सिविल	दाण्डिक	कुल	सिविल	दाण्डिक	कुल
1	आंध्र प्रदेश	347979	287241	**635220**	412688	361264	**773952**	414050	415097	**829147**	422382	442563	**864945**	430694	469201	**899895**
2	तेलंगाना	284531	389770	**674301**	330160	475462	**805622**	421679	637722	**1059401**	349414	568181	**917595**	333244	599004	**932248**
3	अंदमान और निकोबार द्वीप			**0**			**0**	3176	8710	**11886**	3731	5036	**8767**	3811	4276	**8087**
4	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	**शून्य**	शून्य	शून्य	**शून्य**	शून्य	शून्य	**शून्य**	1174	2975	**4149**	1953	8256	**10209**
5	असम	79395	277802	**357197**	86204	331584	**417788**	93994	394806	**488800**	101120	352416	**453536**	105037	397676	**502713**
6	बिहार	429316	2728754	**3158070**	476437	2902792	**3379229**	508954	2936205	**3445159**	537060	3051832	**3588892**	534055	3076751	**3610806**
7	चंडीगढ़	21004	36414	**57418**	22970	46532	**69502**	23229	56297	**79526**	23347	125067	**148414**	23284	82273	**105557**
8	छत्तीसगढ़	59709	264564	**324273**	68905	307315	**376220**	75569	336030	**411599**	78493	332086	**410579**	79471	379231	**458702**
9	दिल्ली	216432	739418	**955850**	241138	841277	**1082415**	247208	1046363	**1293571**	230685	993588	**1224273**	220208	1302747	**1522955**
10	दादर एवं नागर हवेली तथा दमण एवं दीव	2953	3326	**6279**	3147	3412	**6559**	3218	3453	**6671**	3441	3883	**7324**	3423	4316	**7739**
11	गोवा	23822	32723	**56545**	25811	33559	**59370**	25821	30554	**56375**	26211	30967	**57178**	26739	32312	**59051**
12	गुजरात	457897	1432770	**1890667**	457921	1493629	**1951550**	424744	1318979	**1743723**	372162	1217306	**1589468**	350389	1316006	**1666395**
१३	हरियाणा	386383	714521	**1100904**	433043	848654	**1281697**	454453	1003817	**1458270**	459885	973156	**1433041**	438526	993105	**1431631**
14	हिमाचल प्रदेश	145240	271324	**416564**	154753	301196	**455949**	154316	321821	**476137**	164325	409285	**573610**	169263	486831	**656094**
15	जम्मू-कश्मीर	85913	129890	**215803**	95828	147198	**243026**	98331	201385	**299716**	101210	188996	**290206**	108271	225052	**333323**
16	झारखंड	77284	361283	**438567**	89806	405302	**495108**	90175	428981	**519156**	91346	451630	**542976**	91856	455071	**546927**
17	कर्नाटक	841009	905877	**1746886**	867552	955551	**1823103**	910317	982948	**1893265**	942582	998989	**1941571**	998446	1203858	**2202304**
18	केरल	481685	1316657	**1798342**	516610	1426645	**1943255**	517038	1416325	**1933363**	518099	1312818	**1830917**	517326	1219750	**1737076**
19	लद्दाख	366	383	**749**	398	426	**824**	657	497	**1154**	631	697	**1328**	694	762	**1456**
20	मध्य प्रदेश	352554	1337499	**1690053**	379592	1496602	**1876194**	393250	1607018	**2000268**	394159	1610411	**2004570**	413371	1618815	**2032186**
21	महाराष्ट्र	1354707	3161604	**4516311**	1487070	3394648	**4881718**	1567297	3415614	**4982911**	1637874	3562441	**5200315**	1697480	3788061	**5485541**
22	मणिपुर	6851	3943	**10794**	8440	4362	**12802**	7994	4275	**12269**	8705	4365	**13070**	8460	4201	**12661**
23	मेघालय	2793	7610	**10403**	4300	10322	**14622**	4563	11572	**16135**	4508	11706	**16214**	4300	10930	**15230**
24	मिजोरम	1650	3049	**4699**	2174	3708	**5882**	2320	2822	**5142**	2464	3102	**5566**	3023	2467	**5490**

25	नगालैंड	161	1378	**1539**	493	2110	**2603**	576	2390	**2966**	675	2159	**2834**	695	2082	**2777**
26	उड़ीसा	282943	1099595	**1382538**	303218	1215888	**1519106**	302763	1256575	**1559338**	293052	1319143	**1612195**	273786	1380777	**1654563**
27	पुडुचेरी			**0**	14446	19583	**34029**	11881	17950	**29831**	12896	21183	**34079**	13012	22374	**35386**
28	पंजाब	348144	466394	**814538**	394728	524130	**918858**	401902	520458	**922360**	378545	472637	**851182**	378067	491756	**869823**
29	राजस्थान	485531	1344931	**1830462**	518034	1511780	**2029814**	524351	1599124	**2123475**	537184	1773804	**2310988**	479940	1869413	**2349353**
30	सिक्किम	571	999	**1570**	735	1191	**1926**	666	1177	**1843**	626	1038	**1664**	799	956	**1755**
31	तमिलनाडु	722201	566372	**1288573**	757785	606132	**1363917**	751131	681444	**1432575**	725902	723103	**1449005**	736752	787101	**1523853**
32	त्रिपुरा	9119	31913	**41032**	9138	30066	**39204**	11282	28730	**40012**	11759	33620	**45379**	12405	37463	**49868**
33	लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	137	390	**527**
34	उत्तर प्रदेश	1854778	6717314	**8572092**	1912283	7909941	**9822224**	1857096	9116384	**10973480**	1875023	9751773	**11626796**	1827129	9924780	**11751909**
35	उत्तराखंड	41825	218739	**260564**	44272	256729	**301001**	44847	282503	**327350**	44930	313102	**358032**	46430	315317	**361747**
36	पश्चिमी बंगाल	548795	1831838	**2380633**	605904	1984089	**2589993**	614648	2157642	**2772290**	620769	2368053	**2988822**	46430	315317	**361747**
कुल		**9953541**	**26685895**	**36639436**	**10725983**	**29853079**	**40579062**	**10963496**	**32245668**	**43209164**	**10976369**	**33433111**	**44409480**	**10378906**	**32828678**	**43207584**

स्रोत:- राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)।

उपाबंध-2

'आंध्र प्रदेश में न्यायालय' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3100 जिसका उत्तर तारीख 13.12.2024 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

पिछले पांच वर्षों के दौरान उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या को दर्शाने वाला विस्तृत विवरण।

क्रम सं.	उच्च न्यायालय	31.12.2020 तक लंबित मामलों की संख्या			31.12.2021 तक लंबित मामलों की संख्या			31.12.2022 तक लंबित मामलों की संख्या			31.12.2023 तक लंबित मामलों की संख्या			10.12.2024 तक लंबित मामलों की संख्या		
		सिविल	दाण्डिक	कुल	सिविल	दाण्डिक	कुल	सिविल	दाण्डिक	कुल	सिविल	दाण्डिक	कुल	सिविल	दाण्डिक	कुल
1	इलाहाबाद	415029	358379	**773408**	418874	384693	**803567**	556215	476013	**1032228**	568387	508167	**1076554**	**599544**	**538945**	**1138489**
2	बंबई	471321	87798	**559119**	472580	96438	**569018**	506774	103960	**610734**	596154	116276	**712430**	**539677**	**111717**	**651394**
3	कलकत्ता	225783	41648	**267431**	190612	34837	**225449**	178268	29630	**207898**	168530	26849	**195379**	**176542**	**28413**	**204955**
4	गुवाहाटी उच्च न्यायालय	42030	9871	**51901**	44786	10863	**55649**	46628	11873	**58501**	48308	14133	**62441**	**48138**	**16183**	**64321**
5	तेलंगाना	203093	33759	**236852**	220805	35713	**256518**	219891	34198	**254089**	218291	30096	**248387**	**212660**	**31363**	**244023**
6	आंध्र प्रदेश	177061	30701	**207762**	189934	32908	**222842**	204907	35331	**240238**	212152	37491	**249643**	**208471**	**38728**	**247199**
7	छत्तीसगढ	47219	28617	**75836**	51496	29505	**81001**	58969	32215	**91184**	58525	31938	**90463**	**55236**	**29087**	**84323**
8	दिल्ली	65654	25541	**91195**	73132	26936	**100068**	75350	29921	**105271**	90696	37426	**128122**	**90885**	**36349**	**127234**
9	गुजरात	97226	45577	**142803**	101465	50665	**152130**	105891	56038	**161929**	112117	56931	**169048**	**116159**	**54932**	**171091**
10	हिमाचल प्रदेश	64625	9237	**73862**	72084	10154	**82238**	79041	12169	**91210**	85437	14108	**99545**	**81449**	**12167**	**93616**
11	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	55565	7903	**63468**	40982	6779	**47761**	36921	7605	**44526**	36002	8241	**44243**	**36897**	**8533**	**45430**
12	झारखंड	41240	47205	**88445**	42300	46071	**88371**	39234	48758	**87992**	38519	47271	**85790**	**33005**	**41737**	**74742**
१३	कर्नाटक	250805	42454	**293259**	225693	40253	**265946**	255999	48445	**304444**	240721	48168	**288889**	**248380**	**52142**	**300522**
14	केरल	169948	44436	**214384**	169527	42998	**212525**	157415	39899	**197314**	201179	54099	**255278**	**198897**	**51544**	**250441**
15	मध्य प्रदेश	223105	139827	**362932**	256719	156748	**413467**	265629	164114	**429743**	269662	176686	**446348**	**278676**	**189347**	**468023**
16	मणिपुर	3962	412	**4374**	4327	490	**4817**	4404	461	**4865**	4120	511	**4631**	**4591**	**649**	**5240**
17	मेघालय	1328	115	**1443**	1367	211	**1578**	1044	144	**1188**	901	224	**1125**	**920**	**264**	**1184**
18	पंजाब और हरियाणा	372991	264157	**637148**	282851	164839	**447690**	279794	168092	**447886**	275684	165386	**441070**	**268349**	**163438**	**431787**
19	राजस्थान	387923	135677	**523600**	422566	151498	**574064**	465873	167914	**633787**	490824	181369	**672193**	**477897**	**179600**	**657497**
20	सिक्किम	204	37	**241**	146	34	**180**	135	30	**165**	126	53	**179**	**144**	**66**	**210**
21	त्रिपुरा	2044	303	**2347**	1549	187	**1736**	1444	157	**1601**	1124	151	**1275**	**818**	**155**	**973**

22	उत्तराखंड	23418	15258	**38676**	24255	17667	**41922**	25848	19175	**45023**	28152	22380	**50532**	**30265**	**24829**	**55094**
23	मद्रास	518985	61785	**580770**	521391	58351	**579742**	495771	54312	**550083**	484616	58084	**542700**	**458729**	**57278**	**516007**
24	उड़ीसा	119076	53400	**172476**	142821	52340	**195161**	122027	42682	**164709**	109964	38483	**148447**	**108339**	**37234**	**145573**
25	पटना	97229	81606	**178835**	113172	112456	**225628**	111517	100589	**212106**	109101	88562	**197663**	**105924**	**95188**	**201112**
कुल		**4076864**	**1565703**	**5642567**	**4085434**	**1563634**	**5649068**	**4294989**	**1683725**	**5978714**	**4449292**	**1763083**	**6212375**	**4380592**	**1799888**	**6180480**

स्रोत:- राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)।

उपाबंध-3

'आंध्र प्रदेश में न्यायालय' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3100 जिसका उत्तर तारीख 13.12.2024 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

उच्च न्यायालयों में स्वीकृत पद संख्या और रिक्तियों का विवरण (09.12.2024 तक)

क्रम सं.	उच्च न्यायालय	स्वीकृत पद संख्या	रिक्तियां
1	इलाहाबाद	160	79
2	आंध्र प्रदेश	37	8
3	बंबई	94	27
4	कलकत्ता	72	29
5	छत्तीसगढ	22	6
6	दिल्ली	60	25
7	गुवाहाटी	30	6
8	गुजरात	52	20
9	हिमाचल प्रदेश	17	6
10	जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख	25	10
11	झारखंड	25	7
12	कर्नाटक	62	12
१३	केरल	47	2
14	मध्य प्रदेश	53	18
15	मद्रास	75	9
16	मणिपुर	5	1
17	मेघालय	4	0
18	उड़ीसा	33	14
19	पटना	53	18
20	पंजाब और हरियाणा	85	33
21	राजस्थान	50	18
22	सिक्किम	3	0
23	तेलंगाना	42	15
24	त्रिपुरा	5	0
25	उत्तराखंड	11	5
	कुल	**1122**	**368**

उपाबंध-4

'आंध्र प्रदेश में न्यायालय' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3100 जिसका उत्तर तारीख 13.12.2024 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

09.12.2024 तक जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पद

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल स्वीकृत पद संख्या	कुल कार्यरत पद संख्या	कुल रिक्तियां
1.	आंध्र प्रदेश	623	564	59
2.	अरुणाचल प्रदेश	44	33	11
3.	असम	485	461	24
4.	बिहार	2019	1536	483
5.	चंडीगढ़	30	30	0

6.	छत्तीसगढ	663	465	198
7.	दादर और नागर हवेली तथा दमण और दीव	7	6	1
8.	दिल्ली	897	803	94
9.	गोवा	50	40	10
10.	गुजरात	1720	1185	535
11.	हरियाणा	781	552	229
12.	हिमाचल प्रदेश	179	160	19
13.	जम्मू-कश्मीर	322	276	46
14.	झारखंड	705	506	199
15.	कर्नाटक	1375	1156	219
16.	केरल	611	534	77
17.	लद्दाख	17	11	6
18.	लक्षद्वीप	4	4	0
19.	मध्य प्रदेश	2028	1691	337
20.	महाराष्ट्र	2190	1940	250
21.	मणिपुर	62	49	१३
22.	मेघालय	99	56	43
23.	मिजोरम	74	45	29
24.	नगालैंड	34	24	10
25.	ओडिशा	1041	841	200
26.	पुडुचेरी	36	26	10
27.	पंजाब	804	723	81
28.	राजस्थान	1641	1313	328
29.	सिक्किम	35	23	12
30.	तमिलनाडु	1369	1023	346
31.	तेलंगाना	560	445	115
32.	त्रिपुरा	133	109	24
33.	उत्तर प्रदेश	3700	2704	996
34.	उत्तराखंड	298	270	28
35.	अंदमान और निकोबार द्वीप	1105	875	230
36.	पश्चिमी बंगाल			
कुल		**25741**	**20479**	**5262**

स्रोत:- न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल।

* संघ राज्य क्षेत्र अंदमान एवं निकोबार द्वीप तथा पश्चिमी बंगाल राज्य की संयुक्त रिक्तियां, जैसा कि पश्चिमी बंगाल राज्य के सामने दर्शाया गया है ।

****